न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः– विनोद कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–
26/2021 प्रार्थना पत्र

दायर दिनांक
22.01.2021

उनवान

1. श्री नन्दराम पिता स्व0 चुना गुर्जर निवासी राजपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री मोहन पिता स्व0 चुना गुर्जर निवासी राजपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्रीराम पिता लालु गुर्जर निवासी राजपुरा(मुतक के बजाय कायम मुकाम)

3/1. श्री किशन पिता श्रीराम गुर्जर निवासी राजपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
3/2. श्रीमति बाली पुत्री श्रीराम गुर्जर निवासी राजपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
3/3. श्रीमति कंकु पुत्री श्रीराम गुर्जर निवासी राजपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।

4. श्री नारायण पिता मांगु गुर्जर निवासी राजपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्री शंकरलाल पिता छोगा गुर्जर निवासी राजपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. श्री नारू पिता सोहन गुर्जर निवासी राजपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
7. श्री मदन पिता सोहन गुर्जर निवासी राजपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमति नानी पत्नि सव0 श्री भैरू गुर्जर निवासी राजपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री राजु पुत्र स्व0 श्री भैरू गुर्जर निवासी राजपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री गोपी पिता बरदा गुर्जर निवासी राजपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्री किशन पिता बरदा गुर्जर निवासी राजपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्री बालु पिता बरदा गुर्जर निवासी राजपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित :–
1–अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री कन्हैयालाल सैन
2–अधिवक्ता अप्रार्थीगण श्री हरदयाल वर्मा

:: निर्णय ::

दिनांकः–26.10.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की आराजियात ग्राम राजपुरा प0ह0 रामपुरिया भू0अ0नि0 क्षैत्र गुरलां में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

(क) खाता संख्या 47 आराजी संख्या 136, 140, 146, 149, 156/1, 157, 158, 272, 285, 286 कुल किता 10 कुल रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा उक्त भूमि प्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम अंकित है।

(ख) खाता संख्या 43 आराजी संख्या 139, 147, 148, 150, 151, 156/2, 279, 284 कुल किता 08 कुल रकबा 08 बीघा 17 बिस्वा भूमि वर्तमान में प्रार्थी संख्या 5, 6, 7 के नाम पर अंकित है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

... खाता संख्या 58 आराजी संख्या 72, 102, 135, 138, 141, 153, 280, 282, 283, 691/271 कुल किता 12 कुल रकबा 24 बीघा 09 बिस्वा उक्त भूमि प्रार्थी संख्या 03 व 04 श्रीराम पिता लालु गुर्जर के नाम खातेदारी अधिकार के रूप में दर्ज है। प्रार्थीगण के एवं विपक्षीगण के शामलाती हक अधिकार का कुआ(चाह) निम्न प्रकार है: आराजी संख्या 142 रकबा 3 बिस्वा स्थित है।

प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण का शामलाती कुआ आराजी संख्या 142 रकबा 03 बिस्वा प्रार्थीगण संख्या 03 व 04 की आराजी संख्या 141 व प्रार्थी संख्या 5,6,7 की आराजी संख्या 151 में आने जाने हेतु मौके पर रास्ता शामलाती कुआ की आराजी संख्या 154 से प्रारम्भ होकर विपक्षीगण संख्या 01 व 02 की व विपक्षी संख्या 04 की आराजी नम्बर 152 व 155 के मध्य होते हुए विपक्षी संख्या 04 की आराजी संख्या 143 में होकर आराजी नम्बर 142 शामलाती कुआ पर जाता है जो कि आगे प्रार्थी संख्या 03 व 04 की आराजी संख्या 141 में प्रवेश करता है रास्ता को इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तावित नक्शा में ए0से बी0 स्थान तक लाल स्याही से डॉटेड लाईन से अंकित कर दर्शाया है रास्ता मौके पर 12 फीट चौडाई का होकर विधमान है जिससे प्रस्तावित नक्शा के अनुसार राजस्व रेकार्ड में नया मार्ग (रास्ता) राजस्व रेकार्ड व नक्शा में अंकित करने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत है।

प्रार्थीगण को अपनी शामलाती कुआ की आराजी नम्बर 142 व खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 151 व 141 में जाने हेतु इस रास्ता के लिए मौके पर रास्ता 12 फीट चौडाई का है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण अपने कृषि उपकरण, गाडी, बैल व ट्रेक्टर लाने जाने हेतु व वर्षो से अपने पूर्वजो के समय से ही उपयोग उपभोग लेते आ उरहे है जिसका प्रार्थीगण को सुखाधिकार प्राप्त है। इसके बावजूद भी प्रार्थीगण को विपक्षीगण उक्त रास्ता का उपयोग उपभोग नही करने देना चाहते है मौके पर रास्ता के अवरोध उत्पन्न कर बार बार रास्ता को बन्द कर देते है विपक्षीगण प्रार्थीगण को कुआ आराजी नम्बर 154 से आगे प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नम्बर 151 व 142 व 141 में जाने हेतु रास्ता नही देना चाहते है और विपक्षीगण स्वंय शामलाती कुआ आराजी नम्बर 154 व निजी कुआ 155 में जाने हेतु विपक्षीगण से आराजी नम्बर 156 मे से रास्ता की मांग कर रहे है जबकि उनके आराजी नम्बर 74 स्वंय की भूमि में होकर रास्ता आराजी नम्बर 155 में जाता है इसलिए 156 मे से रास्ता लेने का उन्हे कोई हक व अधिकार नही है व उन्हे कोई रास्ता की आवश्यकता नही है,बल्कि विपक्षीगण ने मौके पर प्रार्थीगण को आराजी नम्बर 142, 141,151 में जाने हेतु मौके रास्ता नही देना चाहते है, थाने में झुठी रिपोर्ट देकर नाजायज रूप से तंग परेशान कर रास्ता के उपयोग उपभोग से वंचितकरना चाहते है जिसका विपक्षीगण को कोई हक व अधिकार नही है अतः प्रार्थीगण विपक्षीगण की भूमि आराजी नम्बर 152, 143 में अवाप्त होने वाली भूमि में रकबा की गणना करवा नियमानुसार डीएलसी दर के अनुसार प्रतिफल काक निर्धारन कर मुआवजा तहसील में जमाकर नियमानुसार राजस्व रेकार्ड व नक्शा में दर्ज करवाने का प्रार्थीगण अधिकारी है।

अंत में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में ग्राम राजपुरा में स्थित आराजीयात पर जाने के लिये विपक्षीगण की आराजीयात में 12 फीट चौडाई का नया रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कराये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की और से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा से निर्धारित बिन्दुओ पर रिपोर्ट तलब की गई तहसीलदार भीलवाडा ने अपने पत्र क्रमांक/एफ–1216/रीडर/2023/466 दिनांक 15.9.2023 को प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई।

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थी श्रीराम पिता लालू गुर्जर निवासी राजपुरा की मृत्यु दिनांक 9.10.2022 को होकर प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 व 9 जा0दी0 व धारा 151 जा0दी0 का दिनांक 23.01.2023 को प्रस्तुत करते हुए इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया है जिसे दिनांक 27.3.2023 को स्वीकार किया गया संशोधित टाईटल पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा द्वारा प्रस्तुत रास्ता प्रस्ताव को उभयपक्ष अधिवक्ता ने स्वीकार किया है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रास्ता संबंधि रिपोर्ट पर मनन् किया।

प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार भीलवाडा से निम्न बिन्दुओ पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

2. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजियात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे।
   वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है।
2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करावे।
   तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम है। इसमें किसी भी प्रकार से भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है।
3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीग की आराजियात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावे।
   तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण रास्ते की भूमि की एवज में प्रार्थी की आराजियात नही चाहते है।
4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामे से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करे एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावे।
   तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी निजी आराजी नम्बर 140, 139, 142 में जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी आपसी सहमति से रास्ता चाहते है जिस पर दोनो सहमत है।
5. सहमति नही होने की स्थिति में लघुतम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई X चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें।(मय पर्चा मौका)
   तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता आ.नं. 152/1 लम्बाई 49 फीट चौडाई 7.5 फीट, अर्थात 0.0034 हैक्टेयर, आ.नं. 152/2 लम्बाई 115 फीट चौडाई 7.5 फीट अर्थात 0.0080 हैक्टेयर, आ.नं. 151 लम्बाई 165 फीट चौडाई 7.5 फीट अर्थात 0.0115 हैक्अेयर, आ.नं. 143 लम्बाई 115 फीट चौडाई 15 फीट अर्थात 0.0160 हैक्टेयर, आ.नं. 144 लम्बाई 131 फीट चौडाई 15 फीट अर्थात 0.0183 हैक्टेयर भूमि बनती है।

(1)आ.नं. 152/1 रकबा 0.0034 हैक्टेयर की डीएलसी दर 251076–00 प्रति हैक्टेयर बनती है जिसका दुगुना करने पर राशि 1707–00 रूपये बनते है।

(2)आ.नं. 152/2 रकबा 0.080 हैक्टेयर की डीएलसी दर 251076–00 प्रति हैक्टेयर बनती है जिसका दुगुना करने पर राशि 4017–00 रूपये बनते है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

(3)आ.नं. 143 रकबा 0.0160 हैक्टेयर की डीएलसी दर 251076–00 प्रति हैक्टेयर बनती है जिसका दुगुना करने पर राशि 8034–00 रूपये बनते है।

(4)आ.नं. 144 रकबा 0.0183 हैक्टेयर की डीएलसी दर 251076–00 प्रति हैक्टेयर बनती है। जिसका दुगुना करने पर राशि 9190–00 रूपये बनते है।

(5)आ.नं. 151 रकबा 0.0115 हैक्टेयर की डीएलसी दर 251076–00 प्रति हैक्टेयर बनती है। जिसका दुगुना करने पर राशि 5775–00 रूपये बनते है।

आ.नं. 152/1, 152/2, 143, 144, 151 से प्रार्थीगण अपने कुए तक पंहुच जायेगे उक्त अराजियात में से रास्ते को दर्ज करने में प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनो सहमत है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विधमान मार्ग का विस्तार करना के बिन्दु 1–,ख कोई कोई अभिधारी या अभिधारियो का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारी की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय होता है। तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

1.यह अत्यधिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है, और

II. अन्य खातेदार की जोत मे से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले मे, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है तो आदेश द्वारा, आवेदक, को अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फीट नीचे पाईप लाईप बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि मे से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नही किया जावे तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फीट से अधिक चौडा न हो, बनाने के लिए या विधमान मार्ग को तीस फीट से अनधिक तक विस्तारित या चौडा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौडा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उप–खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहॉ उप–धारा(1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौडा करने को अधिकार मंजूर किया जाय वहॉ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिघृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उप–धारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं मे से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही करेंगे।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि मौजा राजपुरा प०ह० रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाडा के हल्के बेरूनी स्थित है प्रार्थीगण की आराजी संख्या 140, 139, 142 एवं विपक्षीगण की आराजी संख्या 151 में कृषि कार्य के लिए आने जाने हेतु रास्ते हेतु भूमि निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है।

खातेदार का नाम	रास्ते हेतु स्वीकृत ग्राम राजपुरा के आ.नं. लम्बाई X चौडाई एवं हैक्टयर			डीएलसी दर प्रति हैक्टेयर से देय राशि प्रतिकर		प्रतिकर भुगतान अदाकर्ता का नाम
किशन पिता बरदा गुर्जर विपक्षी संख्या 04	143	115X15 फीट	0.0160	251076	8034	प्रार्थीगण संख्या 1, 2, (3/1, 3/2, 3/3) 4, 5, 6, 7
	152/1	49X7.5 फीट	0.0034	251076	1707	
1. नानी पत्नि स्व. भैरू गुर्जर विपक्षी संख्या 01 2. राजू पुत्र भैरू गुर्जर विपक्षी संख्या 02	152/2	115X7.5 फीट	0.0080	251076	4017	
बालू पिता बरदा गुर्जर विपक्षी संख्या 05	144	131X15 फीट	0.0183	251076	9190	
1. शंकर पिता छोगा गुर्जर प्रार्थी सं0 5 2. नारू पिता सोहन गुर्जर प्रार्थी सं0 6 3. मदन पिता सोहन गुर्जर प्रार्थी सं0 7	151	165X7.5 फीट	0.0115	251076	5775	विपक्षीगण संख्या 01 से 05

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते की भूमि हेतु देय प्रतिकर का डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशि अदायगी हेतु तीस योम की अवधि का नोटिस जारी करे, उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधि के भीतर भीतर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख व हॉल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करे। इस रास्ते पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगे। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

26/10/2023

(विनोद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा